

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

मुक्ति लाल की बनाम राजेश कुमार की
किस्म मुकदमा राजराय नं. 12 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
8-5-18 17.06.2021	<p>वकील डिक्रीटर ने उपस्थित होकर राजराय पेश की। राजराय दर्ज रजिस्ट्रर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 31-5-18 को पेश हो।</p> <p>6-</p> <p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। प्रकरण में राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 1115 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>05/ केंद्र 08-05/18</p> <p>उपखण्ड मजिस्ट्रेट आदेश की पालना में नामा-सं- 1115/ डि- 23.07.2019 दर्ज कर अमल दरामद किया गया 18-05-2021 (राज पैरोकार नायब तहसीलदार) श्रीमाधोपुर</p> <p>(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> 